संख्या-26/2015/642/47-का-3-2015-24/13/2014

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक
उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी
सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 24 अप्रैल, 2015**

विषय - वित्तीय वर्ष 2015-2016 के अन्तर्गत व्यय के लिए उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी को वित्तीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अकादमी के पत्रांक-III-47Voll.-viii/19, दिनांक 06/04/2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ को सहायक अनुदान/ राज सहायता तथा वेतन भत्ते आदि के भुगतान के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 हेतु आय-व्ययक के अन्तर्गत उ0प्र0 विनियोग अधिनियम, 2015 (अधिनियम संख्या-2सन 2015) द्वारा स्वीकृत व्यय के लिए रू0-3,01,50,000/- (रूपये तीन करोड एक लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अनुदान संख्या-19 के लेखाशीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ" के निम्नलिखित मानक मदों/ उपशीर्षों में सम्मुख अंकित धनराशि माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक के व्यय हेतु अवमुक्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

धनराशि (रूपये हजार में)

उपशीर्ष/ मद का नाम	**वित्तीय वर्ष 2015-2016 के लिए प्राविधानित आय-व्ययक/ अनुदान धनराशि**	**06 माह (अप्रैल, 2015 से माच, 2016 तक) की जाने वाली धनराशि**
31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	3,01,50	3,01,50
योग	**3,01,50**	**3,01,50**

(रूपये तीन करोड एक लाख पचास हजार मात्र)

2- इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विदद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर किया जायेगा।

3- विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत/ उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपयोग चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा किसी भी स्थिति में उक्त धनराशि का उपयोग वर्ष 2015-2016 की नयी मदों के कार्यान्वयन के लिए नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का आहरण राजकोष से एक मुश्त नही की जायेगी, बल्कि आवश्यकतानुसार राजकोष से आहरित कर सक्षम अधिकारी की अनुमति से नियमानुसार व्यय की जायेगी तथा उक्त धनराशि का बिल महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा तैयार किया जायेगा एवं उक्त बिल को अनु सचिव, नियुक्ति विभाग द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर धनराशि का आहरण महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी द्वारा किया जायेगा।

5- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल/ फाइनेंशियल हैंडबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आबंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किए गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-18/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

7- शासकीय व्यय में वितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन केन्द्रीय सहायता अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए934/दस-2008मित-1/2007, दिनांक 02.09.2008 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

8- आहरण वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा, किसी भी दशा में धनराशि आहरित करके बैंक/ डाकखाने में जमा नही की जायेगी।

9- उ0प्र0 के बजट मैनुअल के पैरा-88 के प्राविधानानुसार किया जाने वाला व्यय कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग भीतर रखा जाना महानिदेशक, उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी का उत्तरदायित्व होगा। इस संदर्भ में बी0एम0-13 के प्रपत्र पर नियमित रूप से प्रतिमाह कार्मिक विभाग के साथ-साथ (वित्त-नियंत्रण) अनुभाग-5 को सूचना उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य हैं।

10- अनुदान संख्या-19 के लेखा शीर्षक "2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं-आयोजनेत्तर-003-प्रशिक्षण-11-उ0प्र0 प्रशासन एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ" के लिए वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय-व्ययक में माह अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 तक रू0-3,01,50,000/- (रूपये तीन करोड़ एक लाख पचास हजार मात्र) के मद के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2015/642(1)/47-का-3-2015-24/13/2014, तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, इलाहाबाद।
4. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. अनु सचिव, नियुक्ति अनुभाग-6, उ.प्र. शासन को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किए जाने हेतु।
6. नियुक्ति अनुभाग-6 (लेखा कोष्ठक) उ0प्र0 शासन।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ 2, उ0प्र0 शासन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(संजय कुमार सिंह यादव)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।